>

Title : Need to conduct a special drive to distribute the unused land with proper approach road to landless people belonging to Scheduled Castes category in the country particularly in Ganganagar Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करते हुए केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्व काल में माननीया स्व0 इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो भूमिहीन थे, को देश के लगभग सभी राज्यों में सरप्लस (अतिरिक्त) भूमि का आबंटन किया गया था।

उस आबंटन प्रक्रिया को उदाहरण मानकर पूरे देश में एक बार पुनः अनुसूचित जाति समुदाय के भूमिहीन व्यक्तियों के लिए एक स्पेशल भूमि आबंटन ड्राईव चलाया जाये, जिससे देश में बेकार पड़ी भूमि का उपयोग किया जा सके तथा देश में भूमिहीनों की संख्या को भी कम किया जा सके। सरप्लस भूमि आबंटन प्रक्रिया अपनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि भू-आबंटित व्यक्ति बिना किसी रोक-टोक के अपने खेत तक आ-जा सके। हर आबंटी को अपने खेत तक आवश्यक पहुंच मार्ग भी दिया जाये।

मैं इस सदन में राजस्थान में गंगानगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के अन्य जिलों के भी अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति प्रायः शिकायत करते हैं कि हमें भूमि के जो टुकड़े आबंटित किए गए थे, वहां तक जाने के लिए आज तक भी पहुंच मार्ग की व्यवस्था नहीं है। दूसरे व्यक्तियों के खेतों में से अपने खेत तक जाने से संबंधित किसानों के झगड़े हजारों की संख्या में न्ययालयों में विचाराधीन हैं। वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति न्यायालयों में होने वाले भारी खर्च को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंततः उस भूमि को त्यागने में ही अपना हित समझकर घर बैठ जाते हैं।

इस संबंध में तथ्यों की वास्तविकता की जानकारी के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया जाये तथा हर खातेदार को अपने खेत तक जाने हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जाये। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पूरे देश में जिलाधीशों को इस समस्या का निदान करने के अधिकार दिए जाये तथा एक निश्चित समय सीमा में यह कार्य पूरा किये जाने की भी हिदायत दी जाये।